



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
 भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

जबलपुर अंचल कार्यालय :
 राईट टाउन, जबलपुर-482002

JABALPUR ZONAL OFFICE:
 Wright Town, Jabalpur – 482 002

दूरभाष : 0761-2480065,67,68;

ई-मेल—marc_jab@mahabank.co.in;

www.bankofmaharashtra.in

एएक्स31/वसूली/सरफेसी/छिंदवाड़ा/2017-18

दिनांक 19.06.2017

सिक्युराइटेटेजाइशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी एक्ट

(सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत ई-ऑक्शन के द्वारा विक्रय की आम सूचना)

समस्त आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया नीचे दर्शित वसूली हेतु अधिग्रहीत संपत्ति “जहां है जैसी है” के आधार पर अधोग्रहित विनिर्दिष्ट शर्तों और नियमों के अंतर्गत (सरफेसी अधिनियम 2002) के तहत “ई-नीलामी” द्वारा विक्रय की जाएगी।

ऋणी का नाम एवं पता	बकाया राशि जिसकी वसूली हेतु संपत्ति विक्रय की जा रही है (दिनांक 18.06.2017 को)	संपत्ति का विवरण बंधक संपत्ति की चतुरसीमा	बंधक संपत्ति की चतुरसीमा
क) मे. शिवशक्ति ट्रेडर्स पता – लालबाग चौक, छिंदवाड़ा, म.प्र. ख) श्री शिवचरण यादव पिता श्री चंदू यादव पता – लालबाग चौक, छिंदवाड़ा, म.प्र. ग) श्रीमति गिरजाबाई यादव पति श्री शिवचरण यादव पता – लालबाग चौक, छिंदवाड़ा, म.प्र. घ) श्रीमति शिखा यादव पति श्री प्रमोद यादव पता – लालबाग चौक, छिंदवाड़ा, म.प्र. इ) श्रीमति ममता यादव पति श्री रवि कुमार यादव पता – लालबाग चौक, छिंदवाड़ा, म.प्र. च) श्रीमति सपना यादव पति श्री राजेन्द्र यादव पता – लालबाग चौक, छिंदवाड़ा, म.प्र.	रुपए 76,00,139/- एवं दिनांक 01.01.2016 से ब्याज व अन्य प्रभार - छिंदवाड़ा शाखा	अ) श्रीमति ममता यादव पत्नी श्री रवि कुमार यादव एवं श्रीमति सपना यादव पत्नी श्री राजेन्द्र यादव, निवासी - लालबाग, छिंदवाड़ा के नाम से लाल बाग रोड, छिंदवाड़ा स्थित प्लाट, बी नं 177, प ह नं 22, वार्ड नं 11, खसरा नं 1885/3, छिंदवाड़ा - 4040 वर्ग फीट ब) श्रीमति शिखा यादव पत्नी श्री प्रमोद यादव , निवासी - लालबाग, छिंदवाड़ा के नाम से लाल बाग रोड, छिंदवाड़ा स्थित प्लाट, बी नं 177, प ह नं 22, वार्ड नं 11, खसरा नं 1885/5, छिंदवाड़ा - 5555 वर्ग फीट	अ) चतुरसीमा निम्नानुसार उत्तर- 10 फुट चौड़ी रोड. दक्षिण- नाली पूर्व - विक्रेता की भूमि पश्चिम – विक्रेता की भूमि ब) चतुरसीमा निम्नानुसार उत्तर- कच्चा रास्ता दक्षिण- नाली पूर्व - श्रीमति सपना एवं ममता का प्लाट पश्चिम – नाली

आरक्षित मूल्य	निविदा जमा करने/के.वाय.सी. दस्तावेज़/ईएमडी पूफ जमा करने की दिनांक व समय	ई-नीलामी का दिनांक एवं समय, बोली वृद्धि पृत्येक 5 मिनट
धरोहर राशि		
बोली वृद्धि की राशि		
संपत्ति अ) के लिए रुपए 26.00 लाख (रुपए छब्बीस लाख मात्र) ब) के लिए रुपए 45.00 लाख (रुपए पैंतालीस लाख मात्र)	18.07.2017 को शाम 05:00 बजे तक	20.07.2017 को सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक
संपत्ति अ) के लिए रुपए 2.60 लाख (रुपए दो लाख साठ हजार मात्र) ब) के लिए रुपए 4.50 लाख (रुपए चार लाख पचास हजार मात्र)		
संपत्ति अ) व ब) के लिए रुपए 50000/- (रुपए पचास हजार मात्र)		

संपत्तिया “जहाँ है जैसी है” तथा जिस हालात में है के आधार पर है तथा ई-नीलामी “ऑन लाइन “ के द्वारा संचालित की जवेगी। नीलामी बिक्री /बोली ऑनलाइन ई-नीलामी से वैबसाइट <http://bom.auctiontiger.net> के द्वारा होगी तथा पूर्वक्षण बोलीदार विक्रय विवरणों तथा बोली को हमारे ऑक्शन टाइगर एप्लिकेशन (एंडरोइड) के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस संबंध में विवरण प्राप्त करने हेतु कृपया श्री राजकिशोर रंजीत से ईमेल cmmarcjab@mahabank.co.in व मोबाइल न. 8819977788 पर संपर्क कर सकते हैं ।

(1) हमारे प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार इन सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार का भार नहीं हैं। फिर भी इच्छुक बोलीदार अपनी ओर से अपनी बोली प्रस्तुत करने के पूर्व इन सम्पत्तियों की स्वतंत्र जाँच, सम्पत्तियों के भार / अधिकारों / बकाया जो सम्पत्तियों को प्रभावित करते हों, की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई-नीलामी विज्ञापन किसी तरह की कोई वचनबद्धता या बैंक के किसी प्रतिवेदन के लिए किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं करेगा । संपत्ति का विक्रय वर्तमान में तथा भविष्य के सभी भारों सहित चाहे वे बैंक की जानकारी में हों अथवा न हों के साथ किया जा रहा हैं। प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूति ऋणदाता किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के दावों /अधिकारों (हकों)/ बकियों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

(2) इच्छुक क्रेताओं /बोलीदारों को सत्यंकार जमा राशि (ईमडी) की राशि या तो एनईएफटी (NEFT)/आरटीजीएस(RTGS) के द्वारा खाता क्रमांक 60164541683, खाता का नाम आंचलिक कार्यालय,भुगतान खाता ifsc कोड MAHB0000341 में करना होगा।

(3) ई-नीलामी के संदर्भ में इच्छुक वैध ईमेल पता तथा पासवर्ड होना चाहिए। ई-नीलामी की विस्तृत जानकारी के संबंध में कृपया मे. ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजि लिमी. आक्शन टाइगर, अहमदाबाद संपर्क न.079-40230816/815/823/8254/817/827/806 पर संपर्क श्री तिलक मराठा मोबाइल न. 090677-99646, श्री दानिश मोइन मो: 0803056-75610 ईमेल mp@auctiontiger.net तथा tilak@auctiontiger.net फेक्स न. 079-40230847, टोल फ्री न. 1800-103-5342 से संपर्क करें ।

(4) इच्छुक बोलीदार को सत्यंकार जमा निधि (इमडी) जमा करने का प्रमाण जैसे UTR क्रमांक के ई-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए निवेदन पत्र तथा स्व-सत्यापित प्रतियां (i) पहचान का सबूत (केवाईसी) जैसे - मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट इत्यादि । वर्तमान पता , पत्र व्यवहार के प्रमाण (iii) बोलीदार का पैन कार्ड (iv) मोबाइल / लैंडलाइन फोन का नंबर संपर्क करने हेतु इत्यादि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जबलपुर के प्राधिकृत अधिकारी के पास दिनांक 18/07/2017 को अपरानह 05.00 बजे तक प्रस्तुत किए जाना चाहिए । उपरोक्त दस्तावेजों की मूल प्रतियों की स्केन की गई प्रतियाँ भी उपरोक्त दर्शित ईमेल आईडी पर भी प्रस्तुत की जाना चाहिए।

(5) इच्छुक बोलीदार संपत्ति / सम्पत्तियों क निरीक्षण अपने स्वयं के व्यय पर दिनांक 17/07/2017 को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 5.00 बजे के बीच कर सकते हैं । पूर्व समय नियुक्त करने हेतु कृपया शाखा प्रबंधक, छिंदवाड़ा शाखा, श्री रमेश सिंह टेली न. 07162-230403, 243937, मोबाइल न. 70003-03631 पर संपर्क कर सकते हैं।

(6) योग्य बोलीदारों के नामों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंचलिक कार्यालय जबलपुर द्वारा अभिज्ञापित किया जाएगा जो ऑनलाइन आक्शन में www.bom.auctiontiger.net के पोर्टल पर भाग ले सकेंगे। मे. ई-प्रोक्योरमेंट टेकनालाजी लिमि. योग्य बोलीदारों को उनके पैस के सत्यापन के पश्चात यूजर आई डी तथा पासवर्ड प्रदान करेंगे। (7) यह उन इच्छुक बोलीदारों की जवाबदारी होगी कि वे बोली प्रस्तुत करने के पहले संपत्ति का निरीक्षण कर ले तथा अपने आप को संतुष्ट कर लें।

(8) सत्यंकार निधि जमा (ईएमडी) सफल बोलीदार की विक्रय के हिस्से के रूप में रोक ली जाएगी तथा असफल बोलीदारों की सत्यंकार जमा निधि पर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य के स्वीकार किए जाने के तत्काल पश्चात ही सफल बोलीदार को विक्रय मूल्य की 25% प्रतिशत राशि जमा करना होगी तथा विक्रय मूल्य की बकाया राशि विक्रय दिनांक से 15 दिन या उसके पूर्व या ऐसी बड़ायी गई समयावधि में जो लिखित में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मान्य की गई हो की अवधि में जमा करना होगा जो कि पूर्ण रूप से प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा । सफल बोलीदार के राशि को जमा करने की चूक (डिफाल्ट) के कारण जो जमा की गई सम्पूर्ण राशि है उसे जब्त कर लिया जावेगा तथा संपत्ति का स्थिरिकरण कर उसे पुनः नीलामी के लिए रखा जावेगा एवं चूक किए गए बोलीदार की संबन्धित संपत्ति / राशि पर किसी भी तरह का दावा / हक (अधिकार) नहीं रहेगा।

(9) योग्यता प्राप्त बोलीदार ई-नीलामी तिथि के पूर्व में ई-प्रोक्योरमेंट टेकनोलोजीज लिमि. के ई-आक्शन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ना तो प्राधिकृत अधिकारी और ना ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ना ही ये ई-प्रोक्योरमेंट टेकनोलोजीज लिमि. किसी भी इंटरनेट नेटवर्क समस्या / पावर ना होने / अन्य तकनीकी त्रुटियों / असफलता इत्यादि के लिए जवाबदार नहीं होंगे। इस तरह की विपरीत परिस्थितियों से सुरक्षित रखने के लिए इच्छुक बोलीदारों से निवेदन है कि वे अपने आपको तकनीकी रूप से अच्छी तरह संस्थापित करें तथा सक्षम पावर बैकअप का इंतजाम रखें ताकि वे ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भागीदारी कर सकें।

(10) क्रेता को लागू स्टांप ड्यूटीज / अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी / हस्तांतरण प्रभार शुल्क इत्यादि तथा समस्त प्रकार के वैधानिक / गैर वैधानिक बकाया, करों, कर निर्धारण प्रभारों, शुल्कों इत्यादि जो किसी को देना है का खर्च उठाना पड़ेगा।

(11) प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा किसी भी अथवा समस्त प्रस्ताव (प्रस्तावों) को स्वीकार या रद्द करने, ई-नीलामी को स्थगित करने/आगे बढ़ाने /निरस्त करने अथवा किसी संपत्ति या उसके हिस्से को नीलामी प्रक्रिया से किसी भी स्तर पर निकालने के लिए बिना कोई कारण बताए ऐसा करने के लिए समस्त अधिकार प्राप्त हैं।

(12) विक्रय प्रमाण पत्र क्रेता (क्रेताओं)/आवेदकों के नाम पर ही जारी किया जाएगा। किसी अन्य के नाम /नामों पर जारी नहीं किया जावेगा।

(13) विक्रय सिक्युराइटीजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत विहित नियमों और शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा ।

सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की वैधानिक सूचना

कर्जदार /प्रतिभूति देने वालों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ऊपर दर्शित राशि के साथ उस दिनांक तक का ब्याज एवं अनुलग्नक खर्चों का भुगतान नीलामी तिथि के पूर्व कर दें। इसके पालन ना होने पर संपत्ति नीलाम / बेची जावेगी तथा बकाया राशि यदि कोई होगी तो मय ब्याज व खर्चों के वसूल की जावेगी।

स्थान : जबलपुर
दिनांक : 19.06.2017

प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ महाराष्ट्र